

208



LED

समक्ष श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल  
सर्किट बैच जबलपुर

प्रकरण क्रमांक .....2014

R- 3584-2114

P  
16/10

आवेदक -

जबलपुर विकास प्राधिकरण

सिविक, सेन्टर मढ़ाताल, जबलपुर, ।

विरुद्ध



223

अनावेदक -


(1) आम जनता व अन्य

(2) रवि पटेल आत्मज स्व. श्री एस.सी. पटैल  
निवासी - 616 स्नेह नगर जबलपुर ।

(3) अध्यक्ष जनता गृह निर्माण सोसायटी

कार्यालय - प्लाट नं. 39 शारदा मंदिर रोड गुप्तेश्वर  
जबलपुर

(4) रूममणी, धनराज, धरमराज वारसान स्व. श्रीमति  
रामबाई, पत्नि स्व. श्री शीतलदीन, निवासी - गढ़ा  
जबलपुर म.प्र. 482003



जबलपुर 2  
16/10/14

रिविजन आवेदन धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता अंतरिम आदेश दिनांक  
12/08/2014, 16/07/2014 निरस्त किये जाने से व्यथित होकर

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष सादर निम्नलिखित प्रार्थना करता है -

1. यह कि आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 12/08/2014 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पुनः स्थगन देने आवेदन निरस्त कर दिया इसके पूर्व माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाये जाने का कारण बताते हुये स्थगन आदेश खारिज किया । जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को एवं स्व. रामबाई के वारसानो को हितबद्ध पक्षकार बनाये जाने आदेश किया । उक्त आदेश का पालन करते हुये आवेदक द्वारा स्व. रामबाई के स्थान पर सभी हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार बनाया

20/10/14

R  
2/14

